26.10.2021

पत्रावली आज प्रशासन गावों के संग 2021 अभियान शिविर मुकाम सांगरिया में पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षीगण अधिवक्ता अनुपस्थित। विपक्षी राज्य पक्ष तहसीलदार फुलियाकलां की ओर से पैरोकार उपस्थित। वादी ने शहादत्त में प्रस्तुत संलग्न राजस्व अभिलेख चालु व साबिक जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस. पर लाल स्याही से आवश्यक अंकन किये जा चुके है। प्रस्तुतशुदा पी.डब्ल्यू से जिरह के लिए प्रतिवादी पक्ष अनुपस्थित रहने से जिरह का अवसर समाप्त किया गया। शहादत्त प्रतिवादी चरण में प्रतिवादी पक्ष की ओर से डी.डब्ल्यू प्रस्तुत नही किये जाने से विपक्षी की शहादत्त समाप्त की गई। वादी के नियुक्त अधिवक्ता ने मामलें के अति–आवश्यक होने का कथन रखते हुए, बहस एकपक्षीय सुनी गई। शिविर में वादी के प्रस्तुत प्रार्थनापत्र आदेश 06 नियम 17 जा. दी. को बाद अवलोकन/परीक्षण स्वीकार कर, वादपत्र में आवश्यक संशोधन किया गया। वादपत्र के अन्तिम निपटारे के लिए वादी ने वादपत्र स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया।

प्रकरण का अधो–पांत अवलोकन करने से तथा वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र की ताईद मे प्रस्तुत शपथपत्र, एंव वादपत्र के समर्थन मे प्रस्तुत राजस्व आधार अभिलेखो एवं कलमबद्ध बयानों के अध्ययन से अभिलेखो पर मनन करने के पश्चात वादी का वादपत्र बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण के स्वीकार किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

वादी का वादपत्र विरूद्ध विपक्षीगण स्वीकार करते हुए, विस्तृत अन्तिम डिक्री पृथक से लिखवायी जाकर, सरे ईजलास सुनाई गयी।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।

सहायक कलेक्टर एवं
उप खण्ड अधिकारी
फुलिया कलां (भील.)